JALAUN POLICE

दिनांक – 01.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा लोक व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधियो पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में जालौन पुलिस द्वारा वर्ष 2025 से अब तक कुल 13 अभियुक्तों के विरूद्ध एनएसए की कार्यवाही की गयी । गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 18 अभियोग पंजीकृत कर कुल 83 अभ्यस्त अपराधियों को जेल भेजा गया व अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले 08 अभियुक्तगण की कुल 8,42,26,845/- रूपये(आठ करोड बयालीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ पैंतालीस रुपये) की सम्पत्ति जब्त की गयी ।

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण **1.** सिकंदर पुत्र अतर खाँ उम्र करीब 45 वर्ष निवीसी ग्राम गुलौली थाना कालपी जनपद जालौन **2.** सैय्याज पुत्र नियामत अली उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम गुलौली थाना कालपी जनपद जालौन **3**. हसनैन पुत्र कलीम उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम गुलौली थाना कालपी जनपद जालौन **4.** आलम पुत्र हनीफ मोहम्मद उर्फ छोटेलाल उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम गुलौली थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत ग्राम गुलौली के जंगल में गौवंशीय पशुओं का वध करने से लोक व्यवस्था प्रभावित हुई व थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी ।

जिस पर कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 68/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम उ0प्र0 व 11(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा गया था । तत्पश्चात N.S.A. की कार्यवाही अधिरोपित की गयी थी । जिसके बचाव में अभियुक्तगण सिकंदर आदि 04 नफर उपरोक्त द्वारा उक्त एनएसए की कार्यवाही के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दायर की गयी थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत जालौन पुलिस व प्रशासन की निष्पक्ष व पारदर्शी कार्यवाही को जायज ठहराते हुए आरोपीगण की याचिका को निरस्त कर दिया गया है ।

- **जालौन पुलिस द्वारा दिनांक 01.01.2025 से अब तक कुल 13 अभियुक्तों के विरूद्ध एनएसए की कार्यवाही की गयी ।**
- **गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 18 अभियोग पंजीकृत कर 83 अभ्यस्त अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।**
- **अवैध रूप धन अर्जित करने वाले 08 अभियुक्तगण की कुल 8,42,26,845/- रूपये(आठ करोड बयालीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ पैंतालीस रुपये) की सम्पत्ति जब्त की गयी ।**

जालौन पुलिस द्वारा उ0प्र0 शासन की जीरो टॉलरेन्स नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करते हुए अपनी प्रभावी व पारदर्शी कार्यवाही के चलते मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में लगातार 9 बार अपनी स्थिति टॉप टेन में बरकरार रखे हुए है।

जालौन पुलिस भविष्य में भी इसी प्रकार उ0प्र0 शासन की जीरो टॉलरेन्स नीति को बरकरार रखते हुए निष्पक्ष व पारदर्शिता पूर्वक प्रभावी कार्यवाहियों के लिए शत-प्रतिशत प्रतिबद्ध है ।